प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में भूमि प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है, जो 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये। 2014–15 के पश्चात् की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहाँ आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में डी डी ए से प्राप्त सहयोग को अभिस्वीकृत करना चाहता है।